कार्यालय कलेक्टर एवं भू–अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क0 33 अ–82/19–20 /चैनपुर/12873 बैतूल दिनांक 3.12.19

प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल।

विषयः– ग्राम चैनपुर तहसील मुलताई के भू–अर्जन प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत।

–0–

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत मौजा चैनपुन तहसील मुलताई की हरदौली जलाशय हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित है।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

(तेजस्वी एस. नायक)
कलेक्टर एवं
भू–अर्जन अधिकारी बैतूल

पृ0क0–33 अ–82,2019–20/चैनपुर/12873 बैतूल दिनांक 3.12.2019

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी, (रा) मुलताई को अग्रेषित, समाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे।

2– मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई को कार्यालय के सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।

3– प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,

4– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।

5– तहसीलदार मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

6– सम्बंधित ग्राम पंचायत मालेगांव तहसील मुलताई को प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

संलग्न–उपरोक्तानुसार

कलेक्टर एवं
भू–अर्जन अधिकारी बैतूल

D:\DATA 2.7.19\10.11.19\curs new 1.doc

प्र0क0 3ड अ–82 / 19–20 प्ररूप "ख"

मौजा चैनपुर (नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

1– परियोजना का नाम :– हरदौली जल आवर्धन योजना

2– लोक प्रयोजन :– मुलताई नगरीय क्षेत्र में पेयजल वितरण हेतु

3– स्थल :– उपरोक्तानुसार

4– परियोजना का क्षेत्र :– हरदौली, खरसाली,थावरिया एवं चैनपुर ग्राम

5– विकल्प जिन पर विचार किया गया :– यह भूमि जलाशय के लिए अति उपयुक्त एवं कम से कम शासकीय व्यय आने तथा मुलताई नगरीय क्षेत्र में सुविधाजनक पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चयन किया गया।

6– परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :– मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद मुलताई

7– परियोजना निर्माण के चरण :– प्रथम एवं अंतिम

8– परियोजना के प्रभावो को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे :– प्रकरण में नक्शा संलग्न है।

9– परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :– 65.152 हे0 ग्राम चैनपुर

10– भूमि का मूल्य प्रति हे0 सिंचित, 14,60,800 / –असिंचित 7,30,400 / –

11– प्रभावित परिवारों की संख्या :– ग्राम चैनपुर के 3 कृषक

12– परिसम्पत्तियां:– लोक सम्पति भूमि अन्य निरंक
निजी सम्पति भूमि 4.802 हे0 भवन निरंक

13– विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई :–ग्राम चैनपुर परिवारों की संख्या निरंक

14– सामाजिक समाघात
(क) समाघातों का विवरण :– निष्कर्ष में उल्लेखित है ।
(ख) समाघातों की संकेतक सूची निरंक

15– विकल्प जिन पर विचार किया गया
(क) यदि हां – तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? लोक प्रयोजन हेतु
(ख) यदि नहीं – तो क्यो ? निरंक

निष्कर्ष :–

(1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
(2) प्रभावित भूमि के अर्जन से कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
(3) परिसम्पतियों के मुआवजे के सम्बंध में प्रचलित विधि / नियमों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
(4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है ।
(5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए है।
(6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है परियोजना से जन कल्याणकारी एवं पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।
(7) पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पढ़ेगा । आवेदक विभाग वनीकरण हेतु आवश्यक उपाय करेगे।

(सदस्य)	(सदस्य)	(सदस्य)	(अध्यक्ष)
(प्रकाश अग्रवाल)	उपवन मंडलाधिकारी, मुलताई	मु.न.पा.अधि. मुलताई	(नितिन टाले) डिप्टी कलेक्टर बैतूल

दिनांक 20/11/19